उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या / 2022 / 16(120) / XXVII(8) / 2021 / CT-39
देहरादून:: दिनांक:: 22, मार्च, 2022

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2021 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2021) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करने कि सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2, 3 और धारा 7 से 15 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव

सं0 223 / 2022 / 16(120) / XXVII(8) / 2021 / CT-39 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

10771
24/03/22

विधि .... अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।
आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

DT:/Notification December, 2021/Effective of Sections of Act, 2021(27-12-2021).doc

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 223 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/ 2021/ CT-39 dated 22 March, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 223 /2022/ 16(120)/ XXVII(8)/2021/CT-39

Dehradun : Dated: 22 March, 2022

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 1 of the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2021 (Uttarakhand Act No. 22 of 2021), the Governor, is pleased to allow to appoint the 1st day of January, 2022, as the date on which the provisions of sections 2, 3 and 7 to 15 of the said Act shall come into force.

(Manisha Panwar)
Additional Chief Secretary